हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	हुक्म की तालीम में जारी हुए
15/10/2020 वकील वादीगण/वादी श्री बसन्त कुमार ने हाजिर अदालत होकर वादपत्र पेश किया । दावा दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादी गण की तलवी जरिए सम्मन की जाकर पत्रावली दिनाँक 27/10/2020 को पेश हो।	
27-10-2020 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप०। P.O. साहब अन्य कार्य में व्यस्त। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 05-11-2020 को पेश हो।	
07-1-2021 इकजाई पेशी देने पर पत्रावली आज पेश हुई। अधिवक्तागण का कार्य स्थगन। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 08-1-2021 को पेश हो।	
08-1-2021 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप०। तहसीलदार खण्डेला से प्राप्त बिन्दुवार जवाब को अभिलेख पर लिया जाता है। तत्पश्चात प्रकरण में बहस वकील वादी सुनी गयी। बरवक्त बहस वकील वादी ने अपने वादपत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए मुताबिक अनुतोष दावा डिक्री फरमाये जाने का निवेदन किया। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, दस्तावेजात तहसीलदार खण्डेला से प्राप्त बिन्दुवार जवाब का अवलोकन	

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	किया गया एवं बहस वकील वादी पर सगौर मनन किया गया। वादी के समस्त दस्तावेजात में वादी का सही नाम सोहनलाल पुत्र भैरूराम ही दर्ज है सरपंच ग्राम पंचायत डामरा ने भी उक्त दुरुस्ती हेतु अभिशंषा की है तथा भूमिधारी तहसीलदार खण्डेला ने अपने बिन्दुवार जवाब में भी अत दुरुस्ती हेतु अभिशंषा की है। अतः उक्त समस्त तथ्यों के आलोक में वाद वादी स्वीकार किया जाकर घोषणा की जाती है कि -
	आदेश
	तन ग्राम साठियावास प० ह० पनिहारवास तहसील खण्डेला जिला सीकर (राज.) अवस्थित कृषि भूमि ख.नं. 256 के राजस्व रिकार्ड में वादी का गलत दर्ज नाम "सोना पुत्र भैरू" के स्थान पर वास्तविक व सही नाम "सोहनलाल सैनी पुत्र भैरूराम" दुरुस्त किया जाता है। उसानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 04-1-2021 को मेरे द्वारा हस्ताक्षरित कर न्यायालयी मुद्रा सहित खुले न्यायालय में सुनाया गया।
	(हस्ताक्षर) (राकेश कुमार) RAS उपखण्ड अधिकारी खण्डेला (सीकर) उपखण्ड अधिकारी खण्डेला (सीकर)
	(मुहर: उपखण्ड अधिकारी खण्डेला (सीकर))

Scanned with CamScanner